न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी– श्री प्रकाश चन्द पवन
आर.ए.एस.

मिसल संख्या:	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
28 / अपील / 2016	04.04.2016	17.03.2017

दिलबाग सिंह आ0 निशान सिंह जाति जट सिक्ख निवासी ग्राम बड़गांव तहसील हिण्डोली जिला बून्दी (राजस्थान)

–अपीलांट

– बनाम –

राजस्थान सरकार जर्ये नायब तहसीलदार दबलाना जिला बून्दी (राजस्थान)

–रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 18.03.2016 नायब तहसीलदार दबलाना
अन्तर्गत धारा 91 भू–राजस्व अधिनियम अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम।

उपस्थित–

अपीलांट की ओर से – श्री प्रेमशंकर, अभिभाषक।
रेस्पोडेन्ट की ओर से – पेरोकार सरकार

–: निर्णय :–

यह अपील नायब तहसीलदार दबलाना द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.03.2016 से अप्रसन्न होकर अपीलान्ट ने अंतर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम के तहत इस न्यायालय में पेश की गई है। अपीलाधीन आदेश के तहत अपीलान्ट को आराजी खसरा नम्बर 30 रकबा 04 बीघा किस्म सिवायचक वाके ग्राम बड़गांव तहसील हिण्डोली का अतिचारी मानते हुये बेदखली, फसल जप्ती, पैनाल्टी 500/– रूपये एवं 60 दिन सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी।

बहस अभिभाषक अपीलान्ट व पेरोकार सरकार सुनी गयी।

अभिभाषक अपीलांट ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यो को दोहराते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधि एवं न्यायसंगत नहीं है क्योकि अपीलान्ट को अपने बचाव पक्ष

में साक्ष्य पेश करने का अवसर नहीं दिया गया है। अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो नोटिस दिया गया है उसमें पश्चातवृति अतिक्रमण का विवरण दर्ज नहीं है तथा पूर्व निर्णय की प्रमाणित प्रति नहीं है। अपीलान्ट पश्चातवृति अतिक्रमी नहीं है। अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है। अपीलान्ट ने अतिक्रमी भूमि से कब्जा छोड़ दिया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आरोपित पैनाल्टी भी जमा करा दी गई है भविष्य में अतिक्रमित भूमि पर कब्जा नहीं करेंगे। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व कोई दस्तावेज व साक्ष्य पूर्व में अपीलान्ट को बेदखल करने बाबत् नहीं लिये है इस सम्बन्ध में अपीलान्ट अभिभाषक ने आर.आर.डी.–2015 पेज 102 नजीर पेश कर निवेदन किया है कि अतिक्रमी को पश्चातवृति प्रमाणित किये बिना सिविल कारावास की सजा से दण्डित नहीं किया जा सकता। अपीलान्ट पश्चातवृति अतिक्रमी प्रमाणित नहीं होता है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अपीलाधीन अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त फरमाया जावे।

पेरोकार–सरकार ने बहस के दौरान अपने मौखिक तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलान्ट ने राजकीय सिवायचक भूमि पर अतिक्रमण किया गया है अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत् नोटिस जारी किया गया है जिसमें पश्चातवृति का विवरण दर्ज है, अपीलान्ट को सुनवाई का अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अवसर दिया गया है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट उपस्थित हुआ है। अपीलान्ट को गत वर्ष भी अतिक्रमित भूमि से बेदखल किया गया था जिसका विवरण पटवारी बयान व रिपोर्ट पटवारी व अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में अंकन है अपीलान्ट पश्चातवृति अतिक्रमी है तथा बार–बार अतिक्रमण करने का आदि है अपीलान्ट ने अतिक्रमण भूमि से कब्जा नहीं छोड़ा है, कब्जा छोड़ने बाबत् कोई साक्ष्य, पटवारी रिपोर्ट आदि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश यथावत रखा जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। बहस उभयपक्ष पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध रिपोर्ट पटवारी के अवलोकन से प्रकट है कि अपीलान्ट ने विवादित भूमि पर अतिक्रमण किया गया है। पटवारी रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत नोटिस दिया गया है, अपीलान्ट द्वारा जिस भूमि पर अतिक्रमण किया गया है वह राजकीय सिवायचक भूमि है। जिस पर किसी भी व्यक्ति को अतिक्रमण कर कब्जा करने का अधिकार नहीं है। अपीलान्ट ने निवेदन किया है कि उसने विवादित भूमि से कब्जा छोड़ दिया है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में कब्जा अतिक्रमण छोड़ने बाबत् पटवारी या भू0 अ0 निरि0 आदि की कोई रिपोर्ट या अन्य तथ्य नहीं है तथा वकील अपीलान्ट ने आर.आर.डी. 2015 पेज 102 नजीर पेश की गई है जिसमें अतिक्रमी को मौके पर से बेदखल किये बिना पश्चातवृति अतिक्रमी नहीं

माना जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को विधिवत् नोटिस दिया है तथा सुनवाई का अवसर भी दिया गया है। पटवारी के बयान भी लिये गये है तथा गत वर्ष बेदखल निर्णय की प्रति भी शामिल पत्रावली है। जिसके अनुसार अपीलान्ट ने गत वर्ष भी अतिक्रमण किया गया था तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गत वर्ष भी मि0 न0 960/2015 दिनांक 30.11.2015 से बेदखल भी किया गया था फिर भी अपीलान्ट ने दुबारा अतिक्रमण करके कब्जा किया है। अपीलान्ट पश्चातवृति अतिक्रमी प्रमाणित होता है। अपीलान्ट बार–बार अतिक्रमण करने का आदि है, ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश बेदखली, फसल जप्ती, शास्ती एवं सिविल सजा कारावास का उचित प्रतीत होता है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का आदेश यथावत रखा जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 17.03.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रकाश चंद पवन)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
बून्दी (राज0)